

17/01/24 पत्रावली पेश हुई। कोई भी उत्तर
नहीं आया। वादी व वादी के वकील को
बार-बार आवाज लगाए गए किंतु कोई
भी उत्तर नहीं है। वादी ना तो प्रतिकार
की तलबी है व तलबना प्रारुह सिद्ध
था है। वादी को तलबना प्रारुह करने
के लिए काफी अक्षर दिए जा चुके हैं। किंतु
वादी को उक्त वाद में आगे चलाने की
कार्यप्रणाली नहीं होगी है। जिस वक्त
जब वादी का वाद 09/20/25 में खारिज
किया जाया है। पत्रावली जंगल गुप्त
होकर नष्ट हो रहा है। वाद शीघ्र
दार्जिले इलाक़े है।

उपखण्ड अधिकारी
बड़ोद (कोटपुतली-बड़ोद)